न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या **77/2020** अन्तर्गत धारा 88, 40 RT Act.

वादीगण	वनाम	प्रतिवादीगण
1. रघुवीर वैष्णव पुत्र चतुर्भुज 2. दीपककुमार पुत्र चतुर्भुज जाति साद, निवासी गूंगा तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. चतुर्भुज पुत्र अमरदास 2. मुरलीधर पुत्र अमरदास जाति साद, निवासी गूंगा तहसील शिव, जिला बाड़मेर 3. शोभादेवी पुत्री चतुर्भुज पत्नी बद्रीनारायण जाति साद, निवासी गूंगा हाल निवासी सुवालिया तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर 4. ममता पुत्री चतुर्भुज पत्नी देवीलाल जाति साद, निवासी गूंगा हाल निवासी धुड़सर तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर

उपस्थित :— 1. अधिवक्ता वादीगण — श्री बृजमोहन कुमावत।
2. अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 4 — श्री जेठाराम कुमावत।

—:: निर्णय ::—

दिनांक : **03.07.2025**

वादीगण के वादपत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त एवं पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा गूंगा, तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 445, 1092/446 रकवा क्रमशः 23.04, 75.00 बीघा की आयी हुई है। उक्त विवादित आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण को पैतृक रूप से विरासत में प्राप्त हुई है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण पूर्व पुरुष अमरदास के विधिक वारिश है। पूर्व पुरूष अमरदास के फौत होने पर उनके पुत्रों प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये गये। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पैतृक सहदायिकी सम्पति में पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री/प्रपौत्र का जन्म से अधिकार होता है। उक्त वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम दर्ज है। उक्त विवादित आराजी पैतृक होने से वादीगण एंव प्रतिवादीनी संख्या 3 व 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ हक हिस्सा निहित है तथा वहामी तौर पर बंटवारा भी किया हुआ है। पक्षकारान् अपने अपने हिस्सानुसार काविज होकर काश्त करते आ रहे है। मौके पर कब्जा काश्त को लेकर कोई विवाद नहीं है। वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 राजस्व रेकर्ड मे दर्ज प्रविष्टियों का अनुचित लाभ उठाकर उक्त पैतृक सहदायिकी संपत्ति का अपने हिस्से से ज्यादा भूमि का बेचान अजनबी क्रेताओं को करने पर आमादा है, जबकि पैतृक सहदायिकी संपति में प्रतिवादी संख्या 1 को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। साथ ही राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम दर्ज नहीं होने से वादीगण सरकारी योजनाओं एवं अन्य कृषि विकास के कार्यों से वंचित रह जाते है। अतः उक्त विवादित पैतृक सहदायिकी खातेदारी में वादीगण द्वारा स्वयं को प्रतिवादी [illegible] के साथ सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी होने से उक्त वाद खातेदारी घोषणा का पेश किया गया है।

वाद पंजीयन किया जाकर प्रतिवादीगण को [illegible] तामील की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किये जाने को स्वीकार किया है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा पेश कर वादीगण को सहखातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया गया है। वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप दस्तावेजी साक्ष्य में वादग्रस्त भूमि की वर्तमान जमावंदियां, खतौनी बन्दोवस्त पेश किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.07.24 12:07:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

वादीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में वाद के तथ्यों को दोहराते हुए वादपत्र एवं राजीनामा अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर तदनुसार खातेदारी घोषणा का निवेदन किया गया। प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा भी वादीगण अधिवक्ता की बहस के तथ्यों की ताईद करते हुए विवादित आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादीगण की खातेदारी घोषणा का निवेदन किया गया।

हमने वाद के तथ्यों पर उभय पक्ष को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। चूंकि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 वादग्रस्त आराजी के पूर्व खातेदार स्व0 अमरदास के वारिस है, जो जाति से साद होने से वक्त मृत्यु हिन्दू विधि से शासित होते थे। अतः उनके हक हिस्सा का अंतरण भी हिन्दू विधि के अनुसार ही होगा। खतौनी बंदोबस्त व वर्तमान जमाबंदी से भी वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 स्व0 अमरदास के वारिश होना साबित है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा राजीनामा पेश कर वादपत्र अनुसार वादग्रस्त आराजी में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित करने बाबत् सहमति प्रदान की गई है। चूंकि उक्त वाद में वादीगण अधिवक्ता द्वारा वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित करने की इस्तदुआ चाही गई है, किन्तु प्रतिवादीनी संख्या 3 व 4 भी प्रतिवादी संख्या 1 की जाइंदा पुत्रियां होने से एवं विवादित आराजी पैतृक भूमि होने से हिन्दू विधि के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीनी संख्या 3 से 4, प्रतिवादी संख्या 1 की जाइन्दा संताने होने से सभी का बराबर हक हिस्सा निहित है। यदि प्रतिवादीनी संख्या 3 से 4 वादग्रस्त आराजी में निहित अपने पुश्तैनी हक हिस्से का त्याग करना चाहती है तो वह उप पंजीयक कार्यालय में जाकर विधिक प्रक्रिया के तहत अपना हक त्याग करने हेतु स्वतंत्र है। शेष प्रतिवादीगण से कोई सारवान अनुतोष नहीं चाहा गया है। अतः वादग्रस्त आराजी पैतृक भूमि होने से वादीगण एवं प्रतिवादीनी संख्या 3 से 4 का हक हिस्सा निहित होने से उनको प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहक बराबर हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाकर वाद को स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा गूंगा, तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 445, 1092/446 रकबा क्रमशः 23.04, 75.00 बीघा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीनी संख्या 3 से 4 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार करार देते हुए प्रत्येक की खातेदारी में बहिस्सा बराबर घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

निर्णय आज दिनांक 03.07.2025 को [illegible] सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.07.24 12:07:28 IST
Reason: SelfAttested